# प्रथम सूचना रिपोर्ट

*(अन्तर्गत धारा 173 बी.एन.एस.एस. 2023)*

बुक नं0

1. जिला जयपुर थाना प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र0 नि0ब्यूरो जयपुर वर्ष 2025
प्र0ई0रि0सं0 53 /2025 दिनांक 10/3/2025
(I)धारा 13(1)(ई) सपठित 13(2) पी.सी.एक्ट 1988, धारा 120 बी आईपीसी एवं धारा 13(1)(बी) सपठित 13(2), 12 पी.सी.एक्ट 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61(2) बी.एन.एस. 2023
(II) अधिनियम..................धाराऐं ..................
(III) अधिनियम..................धाराऐं..................
(IV)अन्य अधिनियम एवं धाराऐं..................
2. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या 121 समय 01:15 Pm
(ब) अपराध घटने का दिन..................दिनांक..................समय.......
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक..................समय......
3. सूचना की किस्म :– लिखित / मौखिक लिखित
4. घटनास्थल :–
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी करीब
(ब) पता – ..................
..................बीट संख्या..................जरायमदेही सं.
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो........
पुलिस थाना..................जिला..................
5. परिवादी/सूचनाकर्ता :–सूत्र सूचना
(अ) नाम –
(ब) पिता/पति का नाम
(स) जन्म तिथि/वर्ष..................
(द) राष्ट्रीयता..................
(य) पासपोर्ट संख्या.................. जारी होने की तिथि..........
जारी होने की जगह..................
(र) व्यवसाय..................
(ल) पता –
6. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्ठियों सहित :–
1. श्री अविनाश शर्मा पुत्र श्री ओमप्रकाश शर्मा निवासी 157, हिम्मत नगर ,गोपालपुरा मोड जयपुर हाल अधीक्षण अभियन्ता– XII जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर
2. श्रीमती कल्पना शर्मा पत्नी श्री अविनाश शर्मा निवासी 157, हिम्मत नगर ,गोपालपुरा मोड जयपुर व अन्य।
7. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण :– कोई विलम्ब नही
8. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्ठियां ( यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)
9. चुराई हुई/ लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य
10. 'पंचनामा/यू.डी. केस संख्या ( अगर हो तो )..................
11. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाऐं) :–

महोदय,

विश्वस्त सूत्रों से प्राप्त सूचना के सत्यापन से ज्ञात हुआ है कि संदिग्ध अधिकारी श्री अविनाश शर्मा पुत्र श्री ओमप्रकाश शर्मा, निवासी 157, हिम्मत नगर ,गोपालपुरा मोड जयपुर हाल अधीक्षण अभियन्ता जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर ने राजकीय सेवा में रहते हुए स्वयं व परिजनों के नाम वैध आय के ज्ञात स्त्रोतों से अधिक परिसम्पत्तियां अर्जित कर रखी है। सुचना का सत्यापन किया गया तो संदिग्ध अधिकारी श्री अविनाश शर्मा पुत्र श्री ओमप्रकाश शर्मा वर्तमान में अधीक्षण अभियन्ता– XII जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के पद पर पदस्थापित है तथा प्लॉट नम्बर 157 हिम्मत नगर गोपालपुरा मोड, जयपुर में निवास कर रहा है व संदिग्ध अधिकारी का विवाह श्रीमती कल्पना शर्मा से होना व श्रीमती कल्पना शर्मा गृहणी होना सूत्रों से ज्ञात हुआ है। संदिग्ध अधिकारी के एक बेटी स्तुति शर्मा व दूसरी बेटी सान्वी शर्मा होना ज्ञात हुआ है।

सूत्रों से संदिग्ध अधिकारी के पैन नम्बर AGCPS5346M, संदिग्ध अधिकारी की पत्नी श्रीमती कल्पना शर्मा के पैन नम्बर AMRPS0453Q, संदिग्ध अधिकारी की बेटी स्तुति शर्मा के पैन नम्बर BYYPS1315R होना ज्ञात हुआ है।

संदिग्ध अधिकारी ने अपने बेटी स्तुति शर्मा को जयपुर व अन्य शहरों के महंगे स्कूलों में पढाई करवाना तथा इंजिनियरिंग की पढाई मणिपाल युनिवर्सिटी जयपुर में करवाना सूत्रों से ज्ञात हुआ है। संदिग्ध अधिकारी ने अपने पुत्री की प्रारम्भिक शिक्षा, ट्यूशन व कोचिंग पर करीब 15,00,000/रूपये व उच्च शिक्षा पर मणिपाल युनिवर्सिटी जयपुर से बीटेक सॉफटवेयर इंजिनियरिंग की पढाई में करीब 10,00,000/रूपये व्यय करने का अनुमान है। इस प्रकार संदिग्ध अधिकारी ने अपनी पुत्री स्तुति शर्मा की शिक्षा पर करीब 25,00,000/रूपये व्यय करने का अनुमान है।

संदिग्ध अधिकारी ने अपनी दूसरी बेटी सान्वी शर्मा को जयपुर व अन्य शहरों के महंगे स्कूलों में पढाई करवाना तथा इंजिनियरिंग की पढाई पूर्णिमा युनिवर्सिटी जयपुर में करवाना सूत्रों से ज्ञात हुआ है। संदिग्ध अधिकारी ने अपने पुत्री की प्रारम्भिक शिक्षा, ट्यूशन व कोचिंग पर करीब 15,00,000/रूपये व उच्च शिक्षा पर पूर्णिमा युनिवर्सिटी जयपुर से बीटेक सॉफटवेयर इंजिनियरिंग की पढाई में करीब 3,00,000/रूपये व्यय करने का अनुमान है। इस प्रकार संदिग्ध अधिकारी ने अपनी पुत्री स्तुति शर्मा की शिक्षा पर करीब 18,00,000/रूपये व्यय करने का अनुमान है।

सूत्रों से ज्ञात हुआ कि संदिग्ध अधिकारी द्वारा 13 परिसम्पत्ति स्वयं के नाम, 21 परिसम्पत्ति पत्नी श्रीमती कल्पना शर्मा के नाम व 12 परिसम्पत्ति पुत्री स्तुति शर्मा के नाम जयपुर शहर में विभिन्न स्थानों पर अर्जित की गई, जिनका विवरण प्रपत्र ब में अंकित है।

सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि संदिग्ध अधिकारी ने अपने भाई नवीन शर्मा पुत्र श्री ओमप्रकाश शर्मा के नाम भी विभिन्न स्थानों पर परिसम्पत्तियों में निवेश कर रखा है। सूत्रों से ज्ञात हुआ कि संदिग्ध अधिकारी ने अपने भाई के नाम प्लॉट नम्बर 75 राठी नगर बदरवास जयपुर व प्लॉट नम्बर सी–3 लवकुश विहार आसरपुरा जयपुर खरीद किया है। प्लॉट नम्बर 75 राठी नगर बदरवास जयपुर पर गोदाम का निर्माण करवाकर बिजली विभाग से बिजली का कनेक्शन लिया तथा सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि संदिग्ध अधिकारी की पुत्री स्तुति शर्मा के मोबाईल नम्बर उपरोक्त परिसम्पत्ति के बिजली कनेक्शन में दे रखे हैं। प्लॉट नम्बर सी–33 लवकुश विहार आसरपुरा जयपुर पर बाउन्ड्री वाल व मकान का निर्माण करवाकर बिजली विभाग से बिजली का कनेक्शन लिया तथा संदिग्ध अधिकारी की पत्नी कल्पना शर्मा के मोबाईल नम्बर उपरोक्त परिसम्पत्ति के बिजली कनेक्शन में दे रखे हैं। उक्त दोनों प्लॉट संदिग्ध अधिकारी द्वारा अपनी अवैध अर्जित आय से अपने भाई नवीन शर्मा के नाम बेनामी रूप से अर्जित करना सूत्रों से ज्ञात हुआ है। अनुसंधान के दौरान उक्त बेनामी प्लॉट की खरीद का स्त्रोत, राशि आदि के संबंध में साक्ष्य संकलित किया जाना उचित रहेगा।

सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि संदिग्ध अधिकारी के भाई श्री नवीन शर्मा ने प्लॉट नम्बर 01 नारायण सागर विस्तार आसरपुरा सांगानेर जयपुर क्षेत्रफल 262.69 वर्गगज संदिग्ध अधिकारी की पत्नी को दिनांक 29.07.2013 को उक्त प्लॉट को उपहार में दे दिया। संदिग्ध अधिकारी की पत्नी ने उक्त प्लॉट को दिनांक 19.07.2021 को विक्रय कर दिया। उक्त प्लॉट संदिग्ध अधिकारी द्वारा अपनी अवैध अर्जित आय से अपने भाई नवीन शर्मा के नाम बेनामी रूप से अर्जित करना सूत्रों से ज्ञात हुआ है। अनुसंधान के दौरान उक्त बेनामी प्लॉट की खरीद का स्त्रोत, राशि आदि के संबंध में साक्ष्य संकलित किया जाना उचित रहेगा।

सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि संदिग्ध अधिकारी मकान 157 हिम्मत नगर जयपुर में निवास कर रहा है व उक्त प्लॉट संदिग्ध अधिकारी द्वारा अपने भाई नवीन शर्मा के नाम गृह निर्माण सोसाइटी से खरीद किया जाना ज्ञात हुआ है। उक्त मकान के बिजली कनेक्शन में स्वयं की पत्नी के मोबाईल नम्बर दे रखे हैं। उक्त मकान दो मंजिला बना होकर, पूर्ण रूप से साज सज्जा युक्त होकर तृतीय तल की छत पर सोलर प्लेट लगा होना ज्ञात हुआ है एवं मकान के बाहर नाम प्लेट पर संदिग्ध अधिकारी व संदिग्ध अधिकारी के भाई नवीन शर्मा का नाम लिखा हुआ है। यहां यह उल्लेखनीय है कि संदिग्ध अधिकारी का भाई काफी सालों से विदेश दुबई में रहकर सीए का कार्य कर रहा है। उक्त तथ्यों से उक्त प्लॉट संदिग्ध अधिकारी ने बेनामी रूप से अपने भाई के नाम खरीद कर मकान निर्माण किया जाना प्रकट हुआ है।

सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि संदिग्ध अधिकारी के भाई श्री नवीन शर्मा ने प्लॉट नम्बर 05 गोविन्द नगर गणपतपुरा सांगानेर जयपुर क्षेत्रफल 222.95 वर्गमीटर वर्ष 2008 में खरीद करना ज्ञात हुआ। उक्त प्लॉट श्री नवीन शर्मा ने संदिग्ध अधिकारी को वर्ष 2013 में उपहार में दे दिया। उक्त प्लॉट संदिग्ध अधिकारी द्वारा अपनी अवैध अर्जित आय से अपने भाई नवीन शर्मा के नाम बेनामी रूप से अर्जित करना सूत्रों से ज्ञात हुआ है। अनुसंधान के दौरान उक्त बेनामी प्लॉट की खरीद का स्त्रोत, राशि आदि के संबंध में साक्ष्य संकलित किया जाना उचित रहेगा।

उपरोक्त समस्त तथ्यों से यह प्रतीत होता है कि उक्त परिसम्पत्तियां संदिग्ध अधिकारी ने बेनामी रूप से अपने भाई के नाम से स्वयं के लिये खरीद की गई तथा कालान्तर में उपहार के रूप में प्राप्त भी कर ली गई। उक्त संबंध में दौराने कार्यवाही व दौराने अनुसंधान ज्ञात किया जाना उचित रहेगा।

सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि संदिग्ध अधिकारी के साले श्री ऋषि शर्मा पुत्र श्री केसी शर्मा निवासी सी–371 प्रधान मार्ग मालवीय नगर जयपुर ने वर्ष 2019 में प्लॉट नम्बर 21 किर्ती सागर–ए बदरवास सांगानेर जयपुर क्षेत्रफल 555.55 वर्गगज संदिग्ध अधिकारी की पुत्री स्तुति शर्मा को उपहार में देना ज्ञात हुआ है।

उक्त परिसम्पत्ति संदिग्ध अधिकारी ने अपने साले के नाम खरीद करने के उपरान्त अपनी बेटी को उपहार में दिलवाना सूत्रों से ज्ञात हुआ है अतः उक्त प्लॉट को क्रय करने व उपहार में प्राप्त करने के संबंध में दौराने अनुसंधान संदिग्ध अधिकारी व परिवारजनों से स्पष्ट करना, संदिग्ध अधिकारी के साले श्री ऋषि शर्मा व अन्य संबंधितों से स्पष्ट किया जाना उचित रहेगा।

सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि संदिग्ध अधिकारी का प्लॉट नम्बर 10(स्वयं/पत्नी के नाम), 21(पुत्री स्तुति के नाम) किर्ती सागर–ए बदरवास सांगानेर जयपुर आपस में जुडे हुए हैं व उक्त दोनों प्लॉटों पर संदिग्ध अधिकारी ने होटल/ढाबा का निमार्ण करवा रखा है। उक्त दोनों प्लॉटों पर संदिग्ध अधिकारी ने चारों तरफ बाउंड्री वाल करीब 5–6 कमरे, लेट–बाथ, दो लग्जरी टेण्ट, वीआईपी फर्नीचर, इंटिरियर साज सज्जा पर करीब 55,00,000/रूपये व्यय करने का अनुमान है। उक्त दोनो प्लॉटों पर वर्तमान में श्री रघुराम ढाबा संचालित है।

सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि संदिग्ध अधिकारी के साला श्री ऋषि शर्मा द्वारा तीन वाणिज्यक प्लॉट नम्बर एससी–17, एससी–18, एससी 19 गोविन्द नगर गणपतपुरा सांगानेर जयपुर वर्ष 2010 में खरीद करके वर्ष 2024 में उक्त तीनों प्लॉटों के संबंध में मुख्त्यार आम संदिग्ध अधिकारी की पत्नी को नियुक्त किया है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों से यह प्रतीत होता है कि उक्त परिसम्पत्तियां संदिग्ध अधिकारी ने बेनामी रूप से अपने साले के नाम से स्वयं के लिये खरीद की गई तथा कालान्तर में उपहार के रूप में पुत्री व पत्नी के नाम प्राप्त कर ली गई। संदिग्ध अधिकारी के साला श्री ऋषि शर्मा पुत्र श्री के0सी0 शर्मा के निवास स्थान सी–371 प्रधान मार्ग मालवीय नगर जयपुर की तलाशी में संदिग्ध अधिकारी व संदिग्ध अधिकारी के परिवारजनों के नाम बेनामी परिसम्पत्तियों के दस्तावेज मिलने की सम्भावना है।

सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि संदिग्ध अधिकारी द्वारा श्री लक्ष्मण चौधरी पुत्र श्री खेमराज चौधरी निवासी 101 वास्तुश्री कॉलोनी, मांगियावास, जयपुर से (1) प्लॉट नम्बर 11/OD(A)/198 स्कीम रिंग रोड प्रोजेक्ट मुहाना सांगानेर जयपुर, (2) प्लॉट नम्बर 11/OB/55 स्कीम रिंग रोड प्रोजेक्ट खटवाडा सांगानेर जयपुर, (3) प्लॉट नम्बर 125ए श्री कृष्णा विहार–द्वितीय आसरपुरा सांगानेर जयपुर, (4) कॉमर्सियल प्लॉट नम्बर एस–4डी श्री कृष्णा विहार–द्वितीय आसरपुरा सांगानेर जयपुर, (5) कॉमर्सियल प्लॉट नम्बर एस–4–सी श्री कृष्णा विहार स्कीम आसरपुरा सांगानेर जयपुर, (6) प्लॉट नम्बर डी–7 हरे कृष्णा विहार–डी भांकरोटा कलां सांगानेर जयपुर, (7) प्लॉट नम्बर डी–8 हरे कृष्णा विहार–डी भांकरोटा कलां सांगानेर जयपुर (8) प्लॉट नम्बर डी–9 हरे कृष्णा विहार–डी भांकरोटा कलां सांगानेर जयपुर, (9) प्लॉट नम्बर डी–10 हरे कृष्णा विहार–डी भांकरोटा कलां सांगानेर जयपुर, (10) प्लॉट नम्बर डी–11 हरे कृष्णा विहार–डी भांकरोटा कलां सांगानेर जयपुर,

(11) प्लॉट नम्बर डी–12 हरे कृष्णा विहार–डी भांकरोटा कलां सांगानेर जयपुर (12) प्लॉट नम्बर डी–18 हरे कृष्णा विहार–डी भांकरोटा कलां सांगानेर जयपुर (13) प्लॉट नम्बर डी–18 हरे कृष्णा विहार–डी भांकरोटा कलां सांगानेर जयपुर (14) प्लॉट नम्बर डी–21 हरे कृष्णा विहार–डी भांकरोटा कलां सांगानेर जयपुर (15) प्लॉट नम्बर 75 वृन्दावन सिटी विस्तार जयसिंहपुराबास भांकरोटा जयपुर आदि परिसम्पत्तियों खरीद करना ज्ञात हुआ है। श्री लक्षमण चौधरी व उसकी पत्नी श्रीमती आशा चौधरी द्वारा किंजल कॉलोनाईर्जस प्राईवेट लि0, MS SACRED COLONISERS PVT LTD व नीलकण्ठ रियल स्टेट प्राईवेट लि0 कार्यालय पता 101, वास्तुश्री कॉलोनी, मांगियावास, जयपुर संचालित हैं। सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि संदिग्ध अधिकारी द्वारा स्वयं व परिवारजनों के नाम श्री लक्षमण चौधरी व उसकी पत्नी से अन्य परिसम्पत्तियां भी खरीद की गई हैं, जिनका विवरण संदिग्ध अधिकारी ने अपनी आईपीआर में दर्शित नहीं किया है। इसके अलावा संदिग्ध अधिकारी व संदिग्ध अधिकारी के परिवारजनों के बैंक खातों में श्री लक्षमण चौधरी के बैंक खातों से अत्यधिक धन राशि का अन्तरण होना भी ज्ञात हुआ है। उपरोक्त रियल स्टेट कम्पनियों किंजल कॉलोनाईर्जस प्राईवेट लि0, MS SACRED COLONISERS PVT LTD व नीलकण्ठ रियल स्टेट प्राईवेट लि0 के कार्यालय पता 101 वास्तु श्री मांगियावास, जयपुर तलाशी में उपरोक्त प्लॉटो की खरीद संबंधित दस्तावेज व संदिग्ध अधिकारी व संदिग्ध अधिकारी के परिवारजनों से संबंधित अन्य बहुमुल्य परिसम्पत्तियों के दस्तावेज मिलने की सम्भावना है।

सूत्रों से ज्ञात हुआ कि संदिग्ध अधिकारी की माता श्रीमती विद्या शर्मा का स्वर्गवास वर्ष 2020 में हो गया था, स्वर्गवास से पहले संदिग्ध अधिकारी की माता संदिग्ध अधिकारी के पास ही रहती थी व संदिग्ध अधिकारी ने अपनी माता के नाम जयपुर शहर में परिसम्पत्तियां (1) प्लॉट नम्बर 10 किर्ती सागर –ए बदरवास सांगानेर जयपुर, (2) प्लॉट नम्बर 162 सेज पुर्नवास योजना झांई सांगानेर जयपुर, (3) प्लॉट नम्बर 58 इन्कम टैक्स कॉलोनी –प्रथम जगतपुरा जयपुर, (4) प्लॉट नम्बर 8 गोविन्द नगर गणपतपुरा सांगानेर जयपुर, (5) मकान नम्बर 231/97 राजस्थान आवासन मण्डल योजना प्रतापनगर जयपुर, (6) प्लॉट नम्बर 20 बजरंग नगर बिडला हेल्थ इन्स्टीटयूट जगतपुरा जयपुर, (7) प्लॉट नम्बर 112 श्रीकुंज वाटिका, झांई सांगानेर, जयपुर, (8) प्लॉट नम्बर 9 योजना नारायण सागर विस्तार ग्राम आसरपुरा अजमेर रोड सांगानेर जयपुर, (9) प्लॉट नम्बर 2674 सचिवालय नगर सीतापुरा वाटिका टोंक रोड जयपुर अर्जित की थी, उक्त परिसम्पत्तियों की वसीयत संदिग्ध अधिकारी की माता ने जीवित रहते हुए संदिग्ध अधिकारी व संदिग्ध अधिकारी की पुत्री स्तुति शर्मा के नाम की थी, संदिग्ध अधिकारी की माता के स्वर्गवास के पश्चात संदिग्ध अधिकारी ने स्वयं व पुत्री स्तुति शर्मा के नाम से पंजीकरण करवा लिया।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों से यह प्रतीत होता है कि उक्त परिसम्पत्तियां संदिग्ध अधिकारी ने अपनी माता के नाम से स्वयं के लिये खरीद की गई तथा कालान्तर में वसीयतनामा पंजीकरण करवाकर अपनी माता के स्वर्गवास पश्चात स्वयं व पुत्री स्तुति के नाम करवा ली।

सूत्रों से ज्ञात हुआ कि संदिग्ध अधिकारी द्वारा स्वयं के नाम प्लॉट नम्बर एच–594 स्कीम कल्पना नगर आगरा रोड बस्सी कुल क्षेत्रफल 200 वर्गमीटर खरीद किया गया। उक्त प्लॉट को क्रय करने के पश्चात संदिग्ध अधिकारी ने प्लॉट पर मिट्टी का भराव करवाया व बाउन्ड्री वाल का निर्माण करवाया। उक्त परिम्सम्पत्ति को संदिग्ध अधिकारी ने दिनांक 24.10.2024 को विक्रय करना ज्ञात हुआ है। चुंकि उक्त परिसम्पत्ति को क्रय करने के पश्चात मिट्टी भराव व निर्माण कार्य करके विक्रय किया गया है अतः उक्त परिसम्पत्ति को क्रय विक्रय से हुई आय/व्यय के संबंध में भ्रष्टाचार से अर्जित सम्पत्ति के परिपेक्ष्य में दौराने अनुसंधान साक्ष्य संकलित किया जाना उचित रहेगा।

सूत्रों से ज्ञात हुआ कि आवासीय प्लॉट नम्बर 9 योजना नारायण सागर विस्तार ग्राम आसरपुरा अजमेर रोड सांगानेर जयपुर कुल क्षेत्रफल 300 वर्गगज खातेदारी भूमि खातेदार से विद्या शर्मा द्वारा खरीद कर संदिग्ध अधिकारी के नाम वसीयतनामा दिनांक 26.09.2017 को लिखवाया गया। संदिग्ध अधिकारी की माता श्रीमती विद्या शर्मा का स्वर्गवास दिनांक 16.04.2020 को होने के पश्चात उक्त परिसम्पत्ति के पट्टे का हस्तांतरण संदिग्ध अधिकारी के नाम दर्ज हुआ। संदिग्ध अधिकारी द्वारा उक्त प्लॉट पर बाउन्ड्रीवाल का निमार्ण करवाकर दिनांक 26.04.2022 को उक्त प्लॉट को विक्रय कर दिया। उक्त परिसम्पत्ति को क्रय करने, जेडीए से पट्टा पंजीयन करवाने, बाउन्ड्रीवाल का निर्माण

करवाने तथा विक्रय करने के विस्तृत तथ्यों के संबंध में भ्रष्टाचार से अर्जित सम्पत्ति के परिपेक्ष्य में दौराने अनुसंधान साक्ष्य संकलित किया जाना उचित रहेगा।

सूत्रों से ज्ञात हुआ कि संदिग्ध अधिकारी ने स्वयं की पत्नी श्रीमती कल्पना शर्मा के नाम प्लॉट नम्बर 54 नारायण विहार के ग्राम आसरपुरा, सांगानेर जयपुर क्षेत्रफल 212 वर्गगज वर्ष 2011 में खरीद करना ज्ञात हुआ है। उक्त प्लॉट पर संदिग्ध अधिकारी ने बाउन्ड्री वाल का निर्माण करवाकर दिनांक 29.01.2021 को विक्रय कर दिया। उक्त परिसम्पत्ति को क्रय करने, जेडीए से पट्टा पंजीयन करवाने, बाउन्ड्रीवाल का निर्माण करवाने तथा विक्रय करने के विस्तृत तथ्यों के संबंध में भ्रष्टाचार से अर्जित सम्पत्ति के परिपेक्ष्य में दौराने अनुसंधान साक्ष्य संकलित किया जाना उचित रहेगा।

सूत्रों से ज्ञात हुआ कि संदिग्ध अधिकारी द्वारा स्वयं के नाम दुकान नम्बर एससी 21 गोविन्द नगर ग्राम गणपतपुरा सांगानेर गोपालपुरा बाईपास जयपुर क्षेत्रफल 98.89 वर्गमीटर वर्ष 2013 में खरीद करके संदिग्ध अधिकारी ने उक्त प्लॉट पर बाउन्ड्री वाल का निर्माण करवाकर दिनांक 23.05.2018 को विक्रय कर दिया। उक्त परिसम्पत्ति को क्रय करने, जेडीए से पट्टा पंजीयन करवाने, बाउन्ड्रीवाल का निर्माण करवाने तथा विक्रय करने के विस्तृत तथ्यों के संबंध में भ्रष्टाचार से अर्जित सम्पत्ति के परिपेक्ष्य में दौराने अनुसंधान साक्ष्य संकलित किया जाना उचित रहेगा।

सूत्रों से ज्ञात हुआ कि संदिग्ध अधिकारी की माता श्रीमती विद्या शर्मा द्वारा प्लॉट नम्बर 2674 सचिवालय नगर सीतापुरा वाटिका टोंक रोड जयपुर क्षेत्रफल 304.16 वर्गगज वर्ष 2007 में खरीद करना ज्ञात हुआ है उक्त प्लॉट को संदिग्ध अधिकारी की माता द्वारा संदिग्ध अधिकारी की पुत्री स्तुति शर्मा को वर्ष 2017 में वसीयतनामा कर दिया गया। संदिग्ध अधिकारी की पुत्री द्वारा दिनांक 26.10.2020 को उक्त प्लॉट का विक्रय कर दिया गया। उक्त परिसम्पत्ति को क्रय करने, जेडीए से पट्टा पंजीयन करवाने तथा विक्रय करने के विस्तृत तथ्यों के संबंध में भ्रष्टाचार से अर्जित सम्पत्ति के परिपेक्ष्य में दौराने अनुसंधान साक्ष्य संकलित किया जाना उचित रहेगा।

सूत्रों से ज्ञात हुआ कि संदिग्ध अधिकारी के भाई श्री नवीन शर्मा ने प्लॉट नम्बर 01 नारायण सागर विस्तार आसरपुरा सांगानेर जयपुर क्षेत्रफल 262.69 वर्गगज संदिग्ध अधिकारी की पत्नी को दिनांक 29.07.2013 को उक्त प्लॉट को उपहार में दे दिया। संदिग्ध अधिकारी की पत्नी ने उक्त प्लॉट को दिनांक 19.07.2021 को विक्रय कर दिया। सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि संदिग्ध अधिकारी द्वारा उक्त प्लॉट बेनामी रूप से अपने भाई नवीन शर्मा के नाम खरीद किया गया कालान्तर में संदिग्ध अधिकारी की पत्नी को उक्त परिसम्पत्ति उपहार प्राप्त हुई। उक्त संबंध में भ्रष्टाचार से अर्जित सम्पत्ति के परिपेक्ष्य में दौराने कार्यवाही व दौराने अनुसंधान साक्ष्य संकलित किया जाना उचित रहेगा।

संदिग्ध अधिकारी की पत्नी के नाम आईसीआईसीआई बैंक में लॉकर होना सूत्रों से ज्ञात हुआ है, जिसमें बहुमुल्य दस्तावेज, ज्वैलरी, नगदी व अन्य सामान रखना सूत्रों से ज्ञात हुआ है।

विभागीय नियमों के अन्तर्गत सरकारी अधिकारी/कर्मचारी अपने निकटतम परिवारजनों यथा पत्नी, माता, पुत्र एवं पुत्री के नाम से कोई परिसम्पति क्रय करता है तो उसकी सूचना संबंधित विभागाध्यक्ष को देनी होती है तथा राज्य के समस्त राजकीय अधिकारियों/कर्मचारियों को अपनी चल अचल सम्पति का विवरण ऑनलाईन राजकाज सॉफ्टवेयर पर अपलॉड करना होता है। संदिग्ध अधिकारी द्वारा स्वयं, पत्नी, पुत्री स्तुति शर्मा के नाम जयपुर व अन्य स्थानों पर परिसम्पत्तियां क्रय किया जाना ज्ञात हुआ है। उक्त परिसम्पत्तियों का विवरण संदिग्ध अधिकारी ने अपनी आईपीआर में स्पष्ट दर्शित नहीं कर रखा है। संदिग्ध अधिकारी द्वारा आचरण नियमों के विरूद्ध ऐसा कार्य किया जा रहा है। उक्त कृत्य सदिग्ध अधिकारी के द्वारा भ्रष्टाचार से धन अर्जित करने के तथ्य की पुष्टि करता है।

संदिग्ध अधिकारी की प्रथम नियुक्ति जयपुर विकास प्राधिकरण में कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर हुई थी। समय–समय पर विभागीय पदोन्नति होने के पश्चात वर्तमान में संदिग्ध अधिकारी अधीक्षण अभियन्ता (XII) जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के पद पर कार्यरत है। सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि संदिग्ध अधिकारी ने जेडीए में पदस्थापन के दौरान अपने पद का दुरूपयोग कर गृह निर्माण सहकारी समितियों, भूमि डेवलर्पस को अवैध लाभ पहुंचाकर रिंग रोड प्रोजेक्ट क्षेत्र व अन्य क्षेत्रों में स्वयं व परिवारजनों के नाम पारितोषण रूवरूप अथवा अत्यधिक कम राशि में परिसम्पत्तियों अर्जित किया जाना प्रकट हुआ है। संदिग्ध अधिकारी की आम छवि भ्रष्ट अधिकारी की होना जानकारी में आया है। संदिग्ध अधिकारी की राजकीय सेवा में नियुक्ति से पूर्व पारिवारिक पृष्ठभूमि सामान्य होना तथा नियुक्ति के पश्चात अचानक रहन सहन का स्तर आय के वैध ज्ञात स्त्रोतो से उच्च स्तर का होना ज्ञात हुआ है।

संदिग्ध अधिकारी श्री अविनाश शर्मा द्वारा राजकीय सेवा में आने के बाद स्वयं एवं स्वयं के परिजनो के नाम से अर्जित परिसम्पत्तियों का गोपनीय रूप से विभिन्न राजकीय उपक्रमों/सोसायटी एवं बैंक आदि से जानकारी की जाकर सत्यापन किया गया है।

गोपनीय सत्यापन से संदिग्ध अधिकारी श्री अविनाश शर्मा व परिवारजनों के नाम विभिन्न परिसम्पतियॉं मे निवेश/खरीद करना सत्यापन से ज्ञात हुआ है, संदिग्ध अधिकारी द्वारा अर्जित परिसम्पत्तियों, आय एवं व्यय का विवरण निर्धारित प्रपत्र ''अ'' ''ब''''स''''द'' निम्नानुसार है :–

परिशिष्ट ''अ''

संदिग्ध अधिकारी श्री अविनाश शर्मा पुत्र श्री ओमप्रकाश शर्मा, अधीक्षण अभियन्ता– XII जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर की चैक पिरियड सेवा में आने से पूर्व अर्जित परिसम्पत्तियां:–

| क्र सं. | परिसम्पत्ति का विवरण | परिसम्पत्ति का मूल्य |
|---|---|---|
| 1 | शून्य | शून्य |

परिशिष्ट ''ब''

संदिग्ध अधिकारी श्री अविनाश शर्मा पुत्र श्री ओमप्रकाश शर्मा, अधीक्षण अभियन्ता– XII जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर की चैक पिरियड वर्ष 1994 से खाना तलाशी की दिनांक तक में अर्जित परिसम्पत्तियां:–

| क्र सं. | परिसम्पत्ति का विवरण | परिसम्पत्ति का मूल्य |
|---|---|---|
| 1. | सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि संदिग्ध अधिकारी मकान 157 हिम्मत नगर, गोपालपुरा मोड, जयपुर क्षेत्रफल 272 वर्गगज में निवास कर रहा है व सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि उक्त प्लॉट संदिग्ध अधिकारी द्वारा अपने भाई नवीन शर्मा के नाम भारत भवन निर्माण सहकारी समिति लि0 से खरीद किया जाना ज्ञात हुआ है। तथा उक्त मकान के बिजली कनेक्शन में स्वयं की पत्नी के मोबाईल नम्बर दे रखे हैं। उक्त मकान दो मंजिला बना होकर, पूर्ण रूप से साज सज्जा युक्त होकर तृतीय तल की छत पर सोलर प्लेट लगा होना ज्ञात हुआ है एवं मकान के बार नाम प्लेट पर संदिग्ध अधिकारी व संदिग्ध अधिकारी के भाई नवीन शर्मा का नाम लिखा हुआ है। यहां यह उल्लेखनीय है कि संदिग्ध अधिकारी का भाई काफी सालों से विदेश दुबई में रहकर सीए का कार्य कर रहा है। उक्त तथ्यों से उक्त प्लॉट संदिग्ध अधिकारी ने बेनामी रूप से अपने भाई के नाम खरीद कर मकान निर्माण किया जाना प्रकट हुआ है। संदिग्ध अधिकारी द्वारा उक्त मकान के निमार्ण में करीब 80,00,000/रूपये व्यय करने का अनुमान है। उक्त परिसम्पत्ति को क्रय करने तथा निर्माण के संबंध में व्यय करने के संबंध में स्त्रोत की स्थिती अनुसंधान से किया जाना उचित रहेगा। | 80,00,000 /रूपये |
| 2. | संदिग्ध अधिकारी ने स्वयं के नाम प्लॉट नम्बर डी–18 हरे | 8,31,125/रूपये |

| | | |
|---|---|---|
| | कृष्णा विहार–डी भांकरोटा कलां सांगानेर जयपुर क्षेत्रफल 121.38 वर्गगज़ खरीद करना ज्ञात हुआ है उक्त परिसम्पत्ति को क्रय करने, जेडीए से पट्टा लेने, पंजीयन व अन्य शुल्क के रूप में 8,31,125/रूपये व्यय करने का अनुमान है। | |
| 3. | संदिग्ध अधिकारी ने स्वयं के नाम प्लॉट नम्बर 01 गोविन्दम आर्केड विस्तार पंवालिया सांगानेर जयपुर क्षेत्रफल 189.08 वर्गगज खरीद करना ज्ञात हुआ है उक्त परिसम्पत्ति को क्रय करने, पंजीयन व अन्य शुल्क के रूप में 2,20,732/रूपये व्यय करने का अनुमान है। | 2,20,732/रूपये |
| 4. | संदिग्ध अधिकारी ने स्वयं के नाम प्लॉट नम्बर 18 गोविन्दम आर्केड विस्तार पंवालिया सांगानेर जयपुर क्षेत्रफल 208.50 वर्गगज खरीद करना ज्ञात हुआ है उक्त परिसम्पत्ति को क्रय करने, पंजीयन व अन्य शुल्क के रूप में 2,60,664/रूपये व्यय करने का अनुमान है। | 2,60,664/रूपये |
| 5. | संदिग्ध अधिकारी ने स्वयं के नाम प्लॉट नम्बर ए–14 गोविन्दम ग्लॉबल सिटी पंवालिया सांगानेर जयपुर क्षेत्रफल 198.32 वर्गगज ख़रीद करना ज्ञात हुआ है उक्त परिसम्पत्ति को क्रय करने, पंजीयन व अन्य शुल्क के रूप में 3,28,984/रूपये व्यय करने का अनुमान है। | 3,28,984/रूपय |
| 6. | संदिग्ध अधिकारी ने स्वयं के नाम प्लॉट नम्बर ए–15 गोविन्दम ग्लॉबल सिटी पंवालिया सांगानेर जयपुर क्षेत्रफल 195.01 वर्गगज खरीद करना ज्ञात हुआ है उक्त परिसम्पत्ति को क्रय करने, पंजीयन व अन्य शुल्क के रूप में 3,22,710/रूपये व्यय करने का अनुमान है। | 3,22,710/रूपये |
| 7. | संदिग्ध अधिकारी द्वारा स्वयं के नाम प्लॉट नम्बर ए–98 जेडीए स्टाफ कॉलोनी जगतपुरा जयपुर खरीद करना ज्ञात हुआ है। उक्त प्लॉट के संबंध में दौराने अनुसंधान साक्ष्य संकलित किया जाना उचित रहेगा। | 15,00,000/रूपये |
| 8. | संदिग्ध अधिकारी ने स्वयं के माता श्रीमती विद्या देवी के नाम प्लॉट नम्बर 162 सेज पुर्नवास योजना झांई सांगानेर जयपुर क्षेत्रफल 900 वर्गमीटर खरीद करना ज्ञात हुआ है उक्त परिसम्पत्ति को क्रय करने, पंजीयन व अन्य शुल्क के रूप में 42,80,300/रूपये व्यय करने का अनुमान है।<br>उक्त प्लॉट को संदिग्ध अधिकारी की माता ने जरिये वसीयतनामा संदिग्ध अधिकारी के नाम कर दिया।<br>संदिग्ध अधिकारी द्वारा अपनी माता के नाम प्लॉट को खरीद करने, जेडीए से पट्टा लेने, वसीयतनामा पंजीकरण करवाने व अन्य शुल्क रूप में करीब 42,80,300/रूपये व्यय करने का अनुमान है। | 42,80,300/रूपये |
| 9. | संदिग्ध अधिकारी ने स्वयं के माता श्रीमती विद्या देवी के नाम प्लॉट नम्बर 58 इन्कम टैक्स कॉलोनी –प्रथम जगतपुरा जयपुर क्षेत्रफल 377.77 वर्गगज वर्ष 2013 में करीब 18,88,850/रूपये खरीद करना ज्ञात हुआ है<br>उक्त प्लॉट को संदिग्ध अधिकारी की माता ने जरिये वसीयतनामा वर्ष 2017 में संदिग्ध अधिकारी के नाम कर दिया। संदिग्ध अधिकारी ने उक्त प्लॉट पर एक मकान, लेट बाथ, बाउन्ड्री वाल का निर्माण कर रखा जिस पर करीब 10,00,000/रूपये व्यय करने का अनुमान है।<br>संदिग्ध अधिकारी द्वारा अपनी माता के नाम प्लॉट को खरीद करने, जेडीए से पट्टा लेने, वसीयतनामा पंजीकरण करवाने व | 29,22,849/रूपये |

| | | |
|---|---|---|
| | अन्य शुल्क रूप में करीब 19,22,849/रूपये व्यय करने का अनुमान है। | |
| 10. | संदिग्ध अधिकारी ने स्वयं के माता श्रीमती विद्या देवी के नाम प्लॉट नम्बर 8 गोविन्द नगर गणपतपुरा सांगानेर जयपुर क्षेत्रफल 200 वर्गगज खरीद करना ज्ञात हुआ है उक्त प्लॉट को संदिग्ध अधिकारी द्वारा जरिये वसीयतनामा स्वयं के नाम करवाना सूत्रों से ज्ञात हुआ है। उक्त परिसम्पत्ति के क्रय से संबंधित तथ्य दौराने अनुसंधान ज्ञात किया जाना उचित रहेगा। | 10,50,000/रूपये |
| 11. | संदिग्ध अधिकारी ने स्वयं के माता श्रीमती विद्या देवी के नाम मकान नम्बर 231/97 राजस्थान आवासन मण्डल योजना प्रतापनगर जयपुर क्षेत्रफल 222 वर्गमीटर खरीद करना ज्ञात हुआ है उक्त मकान के 1/2 भाग को संदिग्ध अधिकारी द्वारा जरिये वसीयतनामा स्वयं के नाम करवाना सूत्रों से ज्ञात हुआ है। उक्त परिसम्पत्ति के क्रय से संबंधित तथ्य दौराने अनुसंधान ज्ञात किया जाना उचित रहेगा। | – |
| 12. | संदिग्ध अधिकारी के भाई श्री नवीन शर्मा ने प्लॉट नम्बर 5 गोविन्द नगर गणपतपुरा सांगानेर जयपुर क्षेत्रफल 222.95 वर्गमीटर वर्ष 2008 में खरीद करना ज्ञात हुआ। उक्त प्लॉट श्री नवीन शर्मा ने संदिग्ध अधिकारी को वर्ष 2013 में उपहार में दे दिया। उक्त प्लॉट संदिग्ध अधिकारी द्वारा अपने भाई के नाम बेनामी रूप से क्रय करके उपहार के रूप में स्वयं द्वारा प्राप्त करना सूत्रों से ज्ञात हुआ है। अतः उक्त प्लॉट के संबंध में क्रय करते वक्त दी गई राशि व उपहार के संबंध में दौराने अनुसंधान साक्ष्य संकलित किया जाना उचित रहेगा। | 11,64,750/रूपये |
| 13. | संदिग्ध अधिकारी ने अपनी पत्नी श्रीमती कल्पना शर्मा के नाम वर्ष 2023 में प्लॉट नम्बर 11/OD(A)/198 स्कीम रिंग रोड प्रोजेक्ट मुहाना सांगानेर जयपुर क्षेत्रफल 100 वर्गमीटर खरीद करना ज्ञात हुआ है उक्त परिसम्पत्ति को क्रय करने, पंजीयन व अन्य शुल्क के रूप में 8,06,250/रूपये व्यय करने का अनुमान है। | 8,06,250/रूपये |
| 14. | संदिग्ध अधिकारी ने स्वयं व अपनी पत्नी श्रीमती कल्पना शर्मा के नाम वर्ष 2024 में प्लॉट नम्बर 11/OB/55 स्कीम रिंग रोड प्रोजेक्ट खटवाडा सांगानेर जयपुर क्षेत्रफल 627 वर्गमीटर खरीद करना ज्ञात हुआ है उक्त परिसम्पत्ति को क्रय करने, पंजीयन व अन्य शुल्क के रूप में 88,12,800/रूपये व्यय करने का अनुमान है।<br>उक्त परिसम्पति को क्रय करने हेतु संदिग्ध अधिकारी व संदिग्ध अधिकारी की पत्नी ने एचडीएफसी बैंक खाता संख्या 692890661 से 63,94,000/रूपये लोन लेना ज्ञात हुआ है।<br>इस प्रकार संदिग्ध अधिकारी द्वारा उक्त परिसम्पत्ति क्रय करने में करीब 24,18,800/रूपये व्यय करने का अनुमान है। | 24,18,800/रूपये |
| 15. | संदिग्ध अधिकारी ने अपनी पत्नी श्रीमती कल्पना शर्मा के नाम प्लॉट नम्बर 125ए श्री कृष्णा विहार–द्वितीय आसरपुरा सांगानेर जयपुर क्षेत्रफल 101.50 वर्गमीटर खरीद करना ज्ञात हुआ है उक्त परिसम्पत्ति को क्रय करने, जेडीए से पट्टा लेने, पंजीयन व अन्य शुल्क के रूप में 4,15,850/रूपये व्यय करने का अनुमान है। | 4,15,850/रूपये |
| 16. | संदिग्ध अधिकारी ने अपनी पत्नी श्रीमती कल्पना शर्मा के नाम कॉमर्सियल प्लॉट नम्बर एस–4डी श्री कृष्णा विहार–द्वितीय | 33,48,378/रूपये |

| | | |
|---|---|---|
| | आसरपुरा सांगानेर जयपुर क्षेत्रफल 116.66 वर्गगज खरीद करना ज्ञात हुआ है उक्त परिसम्पत्ति को क्रय करने, जेडीए से पट्टा लेने, पंजीयन व अन्य शुल्क के रूप में 33,48,378 / रूपये व्यय करने का अनुमान है। | |
| 17. | संदिग्ध अधिकारी ने अपनी पत्नी श्रीमती कल्पना शर्मा के नाम कॉमर्सियल प्लॉट नम्बर एस–4–सी श्री कृष्णा विहार स्कीम आसरपुरा सांगानेर जयपुर क्षेत्रफल 111.11 वर्गगज उक्त परिसम्पत्ति को क्रय करने, जेडीए से पट्टा लेने, पंजीयन व अन्य शुल्क के रूप में 33,48,378 / रूपये व्यय करने का अनुमान है। | 33,48,378 / रूपये |
| 18. | संदिग्ध अधिकारी ने अपनी पत्नी श्रीमती कल्पना शर्मा के नाम प्लॉट नम्बर 159 नारायण विहार–एफ ब्लॉक ग्राम आसरपुरा सांगानेर जयपुर क्षेत्रफल 222.22 वर्गगज खरीद करना ज्ञात हुआ है उक्त परिसम्पत्ति को क्रय करने, जेडीए से पट्टा लेने, पंजीयन व अन्य शुल्क के रूप में 11,91,102 / रूपये व्यय करने का अनुमान है। | 11,91,102 / रूपये |
| 19. | संदिग्ध अधिकारी ने अपनी पत्नी श्रीमती कल्पना शर्मा के नाम प्लॉट नम्बर डी–7 हरे कृष्णा विहार–डी भांकरोटा कलां सांगानेर जयपुर क्षेत्रफल 139.08 वर्गगज खरीद करना ज्ञात हुआ है उक्त परिसम्पत्ति को क्रय करने, जेडीए से पट्टा लेने, पंजीयन व अन्य शुल्क के रूप में 7,51,946 / रूपये व्यय करने का अनुमान है। | 7,51,946 / रूपये |
| 20. | संदिग्ध अधिकारी ने अपनी पत्नी श्रीमती कल्पना शर्मा के नाम प्लॉट नम्बर डी–8 हरे कृष्णा विहार–डी भांकरोटा कलां सांगानेर जयपुर क्षेत्रफल 139.08 वर्गगज खरीद करना ज्ञात हुआ है उक्त परिसम्पत्ति को क्रय करने, जेडीए से पट्टा लेने, पंजीयन व अन्य शुल्क के रूप में 7,51,946 / रूपये व्यय करने का अनुमान है। | 7,51,946 / रूपये |
| 21. | संदिग्ध अधिकारी ने अपनी पत्नी श्रीमती कल्पना शर्मा के नाम प्लॉट नम्बर डी–11 हरे कृष्णा विहार–डी भांकरोटा कलां सांगानेर जयपुर क्षेत्रफल 139.08 वर्गगज खरीद करना ज्ञात हुआ है उक्त परिसम्पत्ति को क्रय करने, जेडीए से पट्टा लेने, पंजीयन व अन्य शुल्क के रूप में 6,02,610 / रूपये व्यय करने का अनुमान है। | 6,02,610 / रूपये |
| 22. | संदिग्ध अधिकारी ने अपनी पत्नी श्रीमती कल्पना शर्मा के नाम प्लॉट नम्बर डी–12 हरे कृष्णा विहार–डी भांकरोटा कलां सांगानेर जयपुर क्षेत्रफल 209.44 वर्गगज खरीद करना ज्ञात हुआ है उक्त परिसम्पत्ति को क्रय करने, जेडीए से पट्टा लेने, पंजीयन व अन्य शुल्क के रूप में 9,21,699 / रूपये व्यय करने का अनुमान है। | 9,21,699 / रूपये |
| 23. | संदिग्ध अधिकारी ने अपनी पत्नी श्रीमती कल्पना शर्मा के नाम प्लॉट नम्बर 75 वृन्दावन सिटी विस्तार जयसिंहपुराबास भांकरोटा जयपुर क्षेत्रफल 216.66 वर्गगज खरीद करना ज्ञात हुआ है उक्त परिसम्पत्ति को क्रय करने, पंजीयन व अन्य शुल्क के रूप में 16,12,500 / रूपये व्यय करने का अनुमान है। | 16,12,500 / रूपये |
| 24. | संदिग्ध अधिकारी ने अपनी पत्नी श्रीमती कल्पना शर्मा के नाम कॉमर्सियल प्लॉट नम्बर एस–2 गोविन्दम आर्केड विस्तार पंवालिया सांगानेर जयपुर क्षेत्रफल 138.88 वर्गगज खरीद करना ज्ञात हुआ है उक्त परिसम्पत्ति को क्रय करने, पंजीयन | 3,10,359 / रूपये |

| | | |
|---|---|---|
| | व अन्य शुल्क के रूप में 3,10,359/रूपये व्यय करने का अनुमान है। | |
| 25. | संदिग्ध अधिकारी ने अपनी पत्नी श्रीमती कल्पना शर्मा के नाम कॉमर्सियल प्लॉट नम्बर एस–1 गोविन्दम आर्केड विस्तार पंवालिया सांगानेर जयपुर क्षेत्रफल 189.08 वर्गगज खरीद करना ज्ञात हुआ है उक्त परिसम्पत्ति को क्रय करने, पंजीयन व अन्य शुल्क के रूप में 4,22,216/रूपये व्यय करने का अनुमान है। | 4,22,216/रूपये |
| 26. | संदिग्ध अधिकारी ने अपनी पत्नी श्रीमती कल्पना शर्मा के नाम प्लॉट नम्बर 208 गोविन्दम इन्क्लेव वार्ड नम्बर 25 चाकसु जयपुर क्षेत्रफल 233 वर्गगज खरीद करना ज्ञात हुआ है उक्त परिसम्पत्ति को क्रय करने, पंजीयन व अन्य शुल्क के रूप में 6,76,512/रूपये व्यय करने का अनुमान है। | 6,76,512/रूपये |
| 27. | संदिग्ध अधिकारी ने अपनी पत्नी श्रीमती कल्पना शर्मा के नाम प्लॉट नम्बर 209 गोविन्दम इन्क्लेव वार्ड नम्बर 25 चाकसु जयपुर क्षेत्रफल 233.33 वर्गगज खरीद करना ज्ञात हुआ है उक्त परिसम्पत्ति को क्रय करने, पंजीयन व अन्य शुल्क के रूप में 6,77,467/रूपये व्यय करने का अनुमान है। | 6,77,467/रूपये |
| 28. | संदिग्ध अधिकारी ने अपनी पत्नी श्रीमती कल्पना शर्मा के नाम प्लॉट नम्बर 210 गोविन्दम इन्क्लेव वार्ड नम्बर 25 चाकसु जयपुर क्षेत्रफल 233.33 वर्गगज खरीद करना ज्ञात हुआ है उक्त परिसम्पत्ति को क्रय करने, पंजीयन व अन्य शुल्क के रूप में 6,77,467/रूपये व्यय करने का अनुमान है। | 6,77,467/रूपये |
| 29. | संदिग्ध अधिकारी ने अपनी पत्नी श्रीमती कल्पना शर्मा के नाम प्लॉट नम्बर 211 गोविन्दम इन्क्लेव वार्ड नम्बर 25 चाकसु जयपुर क्षेत्रफल 233.33 वर्गगज खरीद करना ज्ञात हुआ है उक्त परिसम्पत्ति को क्रय करने, पंजीयन व अन्य शुल्क के रूप में 6,77,467/रूपये व्यय करने का अनुमान है। | 6,77,467/रूपये |
| 30. | संदिग्ध अधिकारी ने अपनी पत्नी श्रीमती कल्पना शर्मा के नाम प्लॉट नम्बर ए–99 जेडीए एम्पलॉई कॉलोनी टीलावांला सांगानेर जयपुर क्षेत्रफल 162 वर्गमीटर खरीद करना ज्ञात हुआ है उक्त परिसम्पत्ति को क्रय करने, पंजीयन व अन्य शुल्क के रूप में 7,20,350/रूपये व्यय करने का अनुमान है। | 7,20,350/रूपये |
| 31. | संदिग्ध अधिकारी ने अपनी पत्नी श्रीमती कल्पना शर्मा के नाम प्लॉट नम्बर 112 राधा स्वामी नगर बलरामपुरा उर्फ खेजडो का बास सांगानेर जयपुर क्षेत्रफल 200 वर्गगज वर्ष 2014 में करीब 1,88,530/रूपये में क्रय करना क्रय करने के पश्चात 300 वर्गफुट निर्माण में करीब 1,50,000/रूपये व्यय करने का अनुमान है तथा जेडीए से पट्टा लिया जाकर पंजीयन करवाया गया वर्ष 2016 में संदिग्ध अधिकारी की पत्नी ने उक्त प्लॉट अपनी पुत्री स्तुति शर्मा को उपहार में दे दिया।<br>इस प्रकार उक्त परिसम्पत्ति क्रय करने, निर्माण करने, जेडीए से पट्टा लेने, पंजीयन शुल्क व अन्य शुल्क के रूप में करीब 4,03,530/रूपये व्यय करने का अनुमान है। | 4,03,530/रूपये |
| 32. | संदिग्ध अधिकारी ने अपनी पत्नी श्रीमती कल्पना शर्मा के नाम प्लॉट नम्बर 113 राधा स्वामी नगर बलरामपुरा उर्फ खेजडो का बास सांगानेर जयपुर क्षेत्रफल 200 वर्गगज वर्ष 2014 में करीब 1,88,530/रूपये में क्रय करना क्रय करने के पश्चात जेडीए से पट्टा लिया जाकर पंजीयन करवाया गया।<br>इस प्रकार उक्त परिसम्पत्ति क्रय करने,, जेडीए से पट्टा लेने, | 2,81,030/रूपये |

| | | |
|---|---|---|
| | पंजीयन शुल्क व अन्य शुल्क के रूप में करीब 2,81,030 / रूपये व्यय करने का अनुमान है। | |
| 33. | संदिग्ध अधिकारी ने अपनी पत्नी श्रीमती कल्पना शर्मा के नाम प्लॉट नम्बर 448 स्पेशल इकोनोमिक जोन सेज सेटलमेन्ट स्किम गांव भाम्भोरिया बगरू खुर्द राजदरबार सांगानेर जयपुर क्षेत्रफल 240 वर्गमीटर खरीद करना ज्ञात हुआ है उक्त परिसम्पत्ति को क्रय करने, पंजीयन व अन्य शुल्क के रूप में 17,20,000 / रूपये व्यय करने का अनुमान है। | 17,20,000 / रूपये |
| 34. | संदिग्ध अधिकारी ने अपनी पुत्री स्तुति शर्मा के नाम प्लॉट नम्बर 158 नारायण विहार–एफ ब्लॉक ग्राम आसरपुरा सांगानेर जयपुर क्षेत्रफल 227.12 वर्गगज खरीद करना ज्ञात हुआ है उक्त परिसम्पत्ति को क्रय करने, जेडीए से पट्टा लेने, पंजीयन व अन्य शुल्क के रूप में 7,26,618 / रूपये व्यय करने का अनुमान है। | 7,26,618 / रूपये |
| 35. | संदिग्ध अधिकारी ने अपनी पुत्री स्तुति शर्मा के नाम प्लॉट नम्बर डी–9 हरे कृष्णा विहार–डी भांकरोटा कलां सांगानेर जयपुर क्षेत्रफल 139.08 वर्गगज खरीद करना ज्ञात हुआ है उक्त परिसम्पत्ति को क्रय करने, जेडीए से पट्टा लेने, पंजीयन व अन्य शुल्क के रूप में 7,43,008 / रूपये व्यय करने का अनुमान है। | 7,43,008 / रूपये |
| 36. | संदिग्ध अधिकारी ने अपनी पुत्री स्तुति शर्मा के नाम प्लॉट नम्बर डी–10 हरे कृष्णा विहार–डी भांकरोटा कलां सांगानेर जयपुर क्षेत्रफल 139.08 वर्गगज खरीद करना ज्ञात हुआ है उक्त परिसम्पत्ति को क्रय करने, जेडीए से पट्टा लेने, पंजीयन व अन्य शुल्क के रूप में 11,60,248 / रूपये व्यय करने का अनुमान है। | 11,60,248 / रूपये |
| 37. | संदिग्ध अधिकारी ने अपनी पुत्री स्तुति शर्मा के नाम प्लॉट नम्बर डी–21 हरे कृष्णा विहार–डी भांकरोटा कलां सांगानेर जयपुर क्षेत्रफल 121.38 वर्गगज खरीद करना ज्ञात हुआ है उक्त परिसम्पत्ति को क्रय करने, जेडीए से पट्टा लेने, पंजीयन व अन्य शुल्क के रूप में 8,31,125 / रूपये व्यय करने का अनुमान है। | 8,31,125 / रूपये |
| 38. | संदिग्ध अधिकारी ने अपनी पुत्री स्तुति शर्मा के नाम प्लॉट नम्बर एससी–112–एडी नारायण विहार वाई ब्लॉक फेज 26 ग्राम जयसिंहपुरा बास भांकरोटा जयपुर क्षेत्रफल 84.44 वर्गगज खरीद करना ज्ञात हुआ है उक्त परिसम्पत्ति को क्रय करने, पंजीयन व अन्य शुल्क के रूप में 22,51,577 / रूपये व्यय करने का अनुमान है। | 22,51,577 / रूपये |
| 39. | संदिग्ध अधिकारी ने अपनी पुत्री स्तुति शर्मा के नाम प्लॉट नम्बर एससी–103–डी नारायण विहार वाई ब्लॉक फेज 26 सेक्टर 52 ग्राम जयसिंहपुरा बास भांकरोटा जयपुर क्षेत्रफल 88.88 वर्गगज खरीद करना ज्ञात हुआ है उक्त परिसम्पत्ति को क्रय करने, पंजीयन व अन्य शुल्क के रूप में 23,68,731 / रूपये व्यय करने का अनुमान है। | 23,68,731 / रूपये |
| 40. | संदिग्ध अधिकारी ने अपनी पुत्री स्तुति शर्मा के नाम प्लॉट नम्बर बी–11 गोविन्दम ग्लोबल सिटी पंवालिया सांगानेर जयपुर क्षेत्रफल 260.35 वर्गगज खरीद करना ज्ञात हुआ है उक्त परिसम्पत्ति को क्रय करने, पंजीयन व अन्य शुल्क के रूप में 3,42,708 / रूपये व्यय करने का अनुमान है। | 3,42,708 / रूपये |
| 41. | संदिग्ध अधिकारी ने अपनी पुत्री स्तुति शर्मा के नाम प्लॉट | 3,53,995 / रूपये |

| | | |
|---|---|---|
| | नम्बर ए–16 गोविन्दम ग्लोबल सिटी पंवालिया सांगानेर जयपुर क्षेत्रफल 310.47 वर्गगज खरीद करना ज्ञात हुआ है उक्त परिसम्पत्ति को क्रय करने, पंजीयन व अन्य शुल्क के रूप में 3,53,995/रूपये व्यय करने का अनुमान है। | |
| 42. | संदिग्ध अधिकारी ने अपनी पुत्री स्तुति शर्मा के नाम प्लॉट नम्बर बी–22 गोविन्दम ग्लोबल सिटी पंवालिया सांगानेर जयपुर क्षेत्रफल 278.48 वर्गगज खरीद करना ज्ञात हुआ है उक्त परिसम्पत्ति को क्रय करने, पंजीयन व अन्य शुल्क के रूप में 2,96,080/रूपये व्यय करने का अनुमान है। | 2,96,080/रूपये |
| 43. | संदिग्ध अधिकारी ने स्वयं के माता श्रीमती विद्या देवी के नाम प्लॉट नम्बर 20 बजरंग नगर बिडला हेल्थ इन्स्ट्टीटयूट जगतपुरा जयपुर क्षेत्रफल 233.33 वर्गगज खरीद करना ज्ञात हुआ है उक्त प्लॉट को संदिग्ध अधिकारी की माता द्वारा जरिये वसीयतनामा संदिग्ध अधिकारी की पुत्री स्तुति शर्मा के नाम करवाना सूत्रों से ज्ञात हुआ है। उक्त परिसम्पत्ति के क्रय से संबंधित तथ्य दौराने अनुसंधान ज्ञात किया जाना उचित रहेगा। | 12,16,650/रूपये |
| 44. | संदिग्ध अधिकारी ने स्वयं के माता श्रीमती विद्या देवी के नाम प्लॉट नम्बर 112 श्रीकुंज वाटिका, झांई सांगानेर, जयपुर क्षेत्रफल 216.66 वर्गगज खरीद करना ज्ञात हुआ है उक्त प्लॉट को संदिग्ध अधिकारी की माता द्वारा जरिये वसीयतनामा संदिग्ध अधिकारी की पुत्री स्तुति शर्मा के नाम करवाना सूत्रों से ज्ञात हुआ है। उक्त परिसम्पत्ति के क्रय से संबंधित तथ्य दौराने अनुसंधान ज्ञात किया जाना उचित रहेगा। | 8,66,640/रूपये |
| 45. | संदिग्ध अधिकारी ने अपनी मां श्रीमती विद्या शर्मा के नाम प्लॉट नम्बर 10 किर्ती सागर –ए बदरवास सांगानेर जयपुर क्षेत्रफल 388 वर्गगज खरीद करना सूत्रों से ज्ञात हुआ है। संदिग्ध अधिकारी की माता ने उक्त प्लॉट का वर्ष 2017 में संदिग्ध अधिकारी के नाम वसीयतनामा करवा दिया। उक्त परिसम्पत्ति को क्रय करने, जेडीए से पट्टा लेने, पट्टा हस्तांतरण करवाने, पंजीयन व अन्य शुल्क के रूप में करीब 10,00,000/रूपये का व्यय करने का अनुमान है। | 10,00,000/रूपये |
| 46. | संदिग्ध अधिकारी के साले श्री ऋषि शर्मा पुत्र श्री केसी शर्मा निवासी सी–371 प्रधान मार्ग मालवीय नगर जयपुर ने वर्ष 2019 में प्लॉट नम्बर 21 किर्ती सागर–ए बदरवास सांगानेर जयपुर क्षेत्रफल 500 वर्गगज संदिग्ध अधिकारी की पुत्री स्तुति शर्मा को उपहार में देना ज्ञात हुआ है। उक्त प्लॉट संदिग्ध अधिकारी द्वारा अपने साले के नाम से बेनामी रूप से खरीद किया जाना सूत्रों से ज्ञात हुआ है, जिस संबंध में दौराने अनुसंधान साक्ष्य संकलित किया जाना उचित रहेगा।<br>सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि संदिग्ध अधिकारी की प्लॉट नम्बर 10 , 21 किर्ती सागर–ए बदरवास सांगानेर जयपुर आपस में जुडे हुए हैं व उक्त दोनों प्लॉटों पर संदिग्ध अधिकारी ने होटल/ढाबा का निमार्ण करवा रखा है। उक्त दोनों प्लॉटों पर संदिग्ध अधिकारी ने चारों पर बाउंड्री वाल करीब 5–6 कमरे, लेट–बाथ, दो लग्जरी टेण्ट, वीआईपी फर्नीचर, इंटिरियर साज सज्जा पर करीब 55,00,000/रूपये व्यय करने का अनुमान है। | 55,00,000/रूपये |
| 47. | संदिग्ध अधिकारी द्वारा स्वयं के नाम एक चौपहिया वाहन एमजी हेक्टर 1.5 एमटी हाईब्रिडशार्प नम्बर आरजे 45 सीपी | 18,00,000/रूपये |

| | | |
|---|---|---|
| | 0201 वर्ष 2021 में करीब 18,00,000 / रूपये में खरीद करना ज्ञात हुआ है। | |
| 48. | संदिग्ध अधिकारी द्वारा स्वयं के नाम एक दुपहिया वाहन हिरो हॉण्डा नम्बर आरजे 14 एमयू 0621 वर्ष 2004 में करीब 42,000 / रूपये में खरीद करना ज्ञात हुआ है। | 42,000 / रूपये |
| 49. | संदिग्ध अधिकारी की पत्नी श्रीमती कल्पना शर्मा के नाम आईसीआईसीआई बैंक में खाता संख्या 677501555357 होना ज्ञात हुआ है। उक्त बैंक खाते में 1,04,902 / रूपये शेष बैलेन्स होना ज्ञात हुआ है। | 1,04,902 / रूपये |
| 50. | संदिग्ध अधिकारी के नाम एचडीएफसी बैंक में खाता संख्या 50100699507964 होना ज्ञात हुआ है। उक्त बैंक खाते में 5,29,240 / रूपये शेष बैलेन्स होना ज्ञात हुआ है। | 5,29,240 / रूपये |
| 51. | संदिग्ध अधिकारी की पुत्री स्तुति शर्मा के नाम केनरा बैंक में खाता संख्या 8472201000295 होना ज्ञात हुआ है। उक्त बैंक खाते में 5,484 / रूपये शेष बैलेन्स होना ज्ञात हुआ है। | 5,484 / रूपये |
| 52. | संदिग्ध अधिकारी की पुत्री स्तुति शर्मा के नाम एसबीआई बैंक में खाता संख्या 38634295469 होना ज्ञात हुआ है। उक्त बैंक खाते में 8,02,830 / रूपये शेष बैलेन्स होना ज्ञात हुआ है। | 8,02,830 / रूपये |
| 53. | संदिग्ध अधिकारी की पत्नी श्रीमती कल्पना शर्मा के नाम एसबीआई बैंक में खाता संख्या 38634210406 होना ज्ञात हुआ है। उक्त बैंक खाते में 10,01,587 / रूपये शेष बैलेन्स होना ज्ञात हुआ है। | 10,01,587 / रूपये |
| 54. | संदिग्ध अधिकारी के नाम एसबीआई बैंक में खाता संख्या 38227292915 होना ज्ञात हुआ है। उक्त बैंक खाते में 5,36,013 / रूपये शेष बैलेन्स होना ज्ञात हुआ है। | 5,36,013 / रूपये |
| 55. | संदिग्ध अधिकारी के नाम सेन्ट्रल बैंक में खाता संख्या 1226246328 होना ज्ञात हुआ है। उक्त बैंक खाते में 75,812 / रूपये शेष बैलेन्स होना ज्ञात हुआ है। | 75,812 / रूपये |
| योग | | 6,61,73,219 / रूपये |

## परिशिष्ट ''स''

संदिग्ध अधिकारी श्री अविनाश शर्मा पुत्र श्री ओमप्रकाश शर्मा, अधीक्षण अभियन्ता– XII जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर की चैक पिरियड वर्ष 1994 से खाना तलाशी की दिनांक तक प्राप्त आयः–

| क्र सं. | चैक अवधि में अर्जित आय का विवरण | आय |
|---|---|---|
| 1. | संदिग्ध अधिकारी द्वारा वर्ष 2016 से अब तक अपनी आयकर विवरणिका में आयकर कटौती के पश्चात् 98,87,069 / रूपये शुद्व वेतन के रूप में प्राप्त करने का अनुमान है व वर्ष 1994 से वर्ष 2015 तक संदिग्ध अधिकारी द्वारा 55,84,319 / रूपये शुद्व वेतन प्राप्त करने का अनुमान है। संदिग्ध अधिकारी द्वारा चैक अवधि में करीब 1,94,96,594 / रूपये सकल आय अर्जित करना ज्ञात हुआ है तथा संदिग्ध अधिकारी द्वारा चैक अवधि में 1,54,71,388 / रूपये शुद्व वेतन के रूप में प्राप्त करने का अनुमान है। | 1,54,71,388 / रूपये |
| 2. | संदिग्ध अधिकारी की पत्नी श्रीमती कल्पना शर्मा ने वर्ष 2015 से अब तक आयकर विवरणिका में 34,11,178 / रूपये आय दर्शा रखी है। इस प्रकार संदिग्ध अधिकारी की पत्नी की चैक पिरियड में 34,11,178 / रूपये आय होने का अनुमान है। | 34,11,178 / रूपये |

| | | |
|---|---|---|
| 3. | संदिग्ध अधिकारी की पुत्री स्तुति शर्मा ने वर्ष 2018 से अब तक आयकर विवरणिका में 25,03,332/रूपये आय दर्शा रखी है। इस प्रकार संदिग्ध अधिकारी की पुत्री की चैक पिरियड में 25,03,332/रूपये आय होने का अनुमान है। | 25,03,332/रूपये |
| 4 | संदिग्ध अधिकारी की माता श्रीमती विद्या शर्मा ने वर्ष 2015 से 2020 तक आयकर विवरणिका में 20,81,019/रूपये आय दर्शा रखी है। इस प्रकार संदिग्ध अधिकारी की पुत्री की चैक पिरियड में 20,81,019/रूपये आय होने का अनुमान है।<br>(सूत्रों से ज्ञात हुआ कि संदिग्ध अधिकारी की माता श्रीमती विद्या शर्मा का स्वर्गवास वर्ष 2020 में हो गया था,<br>संदिग्ध अधिकारी की माता संदिग्ध अधिकारी के पास ही रहती थी व संदिग्ध अधिकारी ने अपनी माता के नाम विभिन्न परिसम्पत्तियां अर्जित की, उक्त परिसम्पत्तियों की संदिग्ध अधिकारी की माता ने वसीयत संदिग्ध अधिकारी, संदिग्ध अधिकारी की पुत्री स्तुति शर्मा के नाम की थी जो संदिग्ध अधिकारी की माता के स्वर्गवास के पश्चात संदिग्ध अधिकारी ने स्वयं व पुत्री स्तुति शर्मा के नाम से पंजीकरण करवा लिया। ) | 20,81,019/रूपये |
| 5 | संदिग्ध अधिकारी द्वारा स्वयं के नाम फ्लैट नम्बर टीबी 405 टोपाज बी अर्बन ज्वैल्स ग्राम मदरामपुरा सांगानेर जयपुर दिनांक 08.02.2017 को करीब 31,16,584/ रूपये में क्रय किया गया। दिनांक 01.07.2020 को उक्त परिसम्पत्ति 35,50,000/रूपये में विक्रय कर दी गई।<br>उक्त सम्पत्ति को क्रय करने के पश्चात विक्रय करने में संदिग्ध अधिकारी को करीब 4,33,416/रूपये आय होने का अनुमान है। | 4,33,416/रूपये |
| 6 | संदिग्ध अधिकारी द्वारा स्वयं के नाम प्लॉट नम्बर 82 वृन्दावन सिटी विस्तार जयसिंहपुराबास भांकरोटा जयपुर दिनांक 08.02.2021 को करीब 6,90,880/रूपये में स्वयं के नाम क्रय किया गया। संदिग्ध अधिकारी ने दिनांक 12.03. 2022 को उक्त परिसम्पत्ति को 11 लाख रूपये में विक्रय कर दिया। इस प्रकार संदिग्ध अधिकारी को उक्त परिसम्पत्ति को क्रय करने के पश्चात विक्रय करने में करीब 4,09,120/रूपये की आय होने का अनुमान है। | 4,09,120/रूपये |
| 7 | संदिग्ध अधिकारी ने स्वयं की पत्नी श्रीमती कल्पना शर्मा के नाम प्लॉट नम्बर डी 58 हरेकृष्णा विहार–डी भांकरोटा कलां सांगानेर जयपुर क्षेत्रफल 81 वर्गमीटर दिनांक 01.10.2021 को 5,20,019/रूपये में खरीद करके दिनांक 28.01.2022 को 9,50,000/रूपये में विक्रय कर दिया।<br>संदिग्ध अधिकारी द्वारा उक्त परिसम्पत्ति को क्रय करने के पश्चात विक्रय करने पर करीब 4,29,981/रूपये आय होने का अनुमान है। | 4,29,981/रूपये |
| योग | | 2,47,39,434/रूपये |

## परिशिष्ट "द"

संदिग्ध अधिकारी श्री अविनाश शर्मा पुत्र श्री ओमप्रकाश शर्मा, अधीक्षण अभियन्ता– XII जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर की चैक पिरियड वर्ष 1994 से खाना तलाशी की दिनांक तक किया गया व्ययः–

| क्र सं. | चैक अवधि में किये गये व्यय का विवरण | व्यय राशि |
|---|---|---|
| 1 | संदिग्ध अधिकारी द्वारा चैक अवधि में अर्जित कुल आय 1,94,96,594 / रूपये का एक तिहाई भाग नियमानुसार 64,98,864 / रूपये असत्यापनिक व्यय करने का अनुमान है। | 64,98,864 / रूपये |
| 2 | संदिग्ध अधिकारी ने अपनी एक बेटी स्तुति शर्मा को जयपुर व अन्य शहरों के महंगे स्कूलों में पढाई करवाना तथा इंजिनियरिंग की पढाई मणिपाल युनिवर्सिटी जयपुर में करवाना सूत्रों से ज्ञात हुआ है। संदिग्ध अधिकारी ने अपने पुत्री की प्रारम्भिक शिक्षा, ट्यूशन व कोचिंग पर करीब 15,00,000 / रूपये व उच्च शिक्षा पर मणिपाल युनिवर्सिटी जयपुर से बीटेक सॉफटवेयर इंजिनियरिंग की पढाई में करीब 10,00,000 / रूपये व्यय करने का अनुमान है। इस प्रकार संदिग्ध अधिकारी ने अपनी पुत्री स्तुति शर्मा की शिक्षा पर करीब 25,00,000 / रूपये व्यय करने का अनुमान है। | 2500,000 / रूपये |
| 3 | संदिग्ध अधिकारी ने अपनी दूसरी बेटी सान्वी शर्मा को जयपुर व अन्य शहरों के महंगे स्कूलों में पढाई करवाना तथा इंजिनियरिंग की पढाई पूर्णिमा युनिवर्सिटी जयपुर में करवाना सूत्रों से ज्ञात हुआ है। संदिग्ध अधिकारी ने अपने पुत्री की प्रारम्भिक शिक्षा, ट्यूशन व कोचिंग पर करीब 15,00,000 / रूपये व उच्च शिक्षा पर पूर्णिमा युनिवर्सिटी जयपुर से बीटेक सॉफटवेयर इंजिनियरिंग की पढाई में करीब 3,00,000 / रूपये व्यय करने का अनुमान है। इस प्रकार संदिग्ध अधिकारी ने अपनी पुत्री स्तुति शर्मा की शिक्षा पर करीब 18,00,000 / रूपये व्यय करने का अनुमान है। | 18,00,000 / रूपये |
| 4 | संदिग्ध अधिकारी द्वारा स्वयं के नाम एसबीआई बैंक खाता संख्या 38227292915 से AXIS Mutual Fund, ICICI Mutual Fund, KOTAK MUTUAL FUND में वर्ष 04.04.2022 से अब तक करीब 17,45,000 / रूपये का निवेश करना ज्ञात हुआ है। | 17,45,000 / रूपये |
| 5 | संदिग्ध अधिकारी की पुत्री स्तुति शर्मा द्वारा स्वयं के नाम एसबीआई बैंक खाता संख्या 38634295469 से AXIS Mutual Fund, ICICI Mutual Fund, Mirae Asset Mutual Fund, CANARA ROBECO MUTUAL FUND में वर्ष 06.01.2021 से अब तक करीब 30,73,000 / रूपये का निवेश करना ज्ञात हुआ है। | 30,73,000 / रूपये |
| 6 | संदिग्ध अधिकारी की पत्नी श्रीमती कल्पना शर्मा द्वारा स्वयं के नाम एसबीआई बैंक खाता संख्या 38634210406 से AXIS Mutual Fund, ICICI Mutual Fund, HDFC Mutual Fund, CANARA ROBECO MUTUAL FUND में वर्ष 28.06.2021 से अब तक करीब 39,37,500 / रूपये का निवेश करना ज्ञात हुआ है। | 39,37,500 / रूपये |
| 7 | संदिग्ध अधिकारी व संदिग्ध अधिकारी की पत्नी श्रीमती कल्पना शर्मा के नाम एचडीएफसी बैंक में ग्रामीण प्लॉट लोन खाता संख्या 692890661 होना ज्ञात हुआ है। उक्त लोन खाता से दिनांक 11.04.2024 को 63,94,000 / रूपये लोन लेना ज्ञात हुआ है, जिसकी मासिक किश्तों के रूप में अब तक 8,72,902 / रूपये जमा करवाना ज्ञात हुआ है। | 8,72,902 / रूपये |
| 8 | संदिग्ध अधिकारी वर्तमान में Apple Inc_iPhone XS (A2097) IMEI NO 359214460470460 मोबाईल किमत करीब 60,000 / रूपये, संदिग्ध अधिकारी की पत्नी द्वारा Apple Inc_Apple_iPhone 11 (A2221) IMEI NO 354003102032370 मोबाईल किमत करीब 40,000 / रूपये, संदिग्ध अधिकारी की | 1,30,000 / रूपये |

| | | |
|---|---|---|
| | पत्नी द्वारा iphone 7 a1778 IMEI NO 357224090603420 मोबाईल किमत करीब 30,000/रूपये काम में लिये जा रहे हैं। इस प्रकार संदिग्ध अधिकारी व संदिग्ध अधिकारी के परिवारजनों द्वारा 1,30,000/रूपये के मोबाईल खरीद करके काम में लेना ज्ञात हुआ है। | |
| 9 | संदिग्ध अधिकारी व उसके परिजनों द्वारा चैक पिरियड में उपयोग में लिये गये वाहनों के रखरखाव, ईंधन, मेन्टेनेन्स, बिमा आदि पर अनुमानित व्यय 6,00,000/रूपये | 6,00,000/रूपये |
| योग | | 2,11,57,266/रूपये |

संदिग्ध अधिकारी श्री अविनाश शर्मा द्वारा अपनी नियुक्ति वर्ष 1994 से पहले अर्जित परिसम्पतियों का उल्लेख परिशिष्ट "अ" मे दर्शाया गया है, जो शून्य है।

संदिग्ध अधिकारी श्री अविनाश शर्मा द्वारा अपनी नियुक्ति वर्ष 1994 से खाना तलाशी की दिनांक तक अर्जित परिसम्पतियों का उल्लेख परिशिष्ट "ब" मे दर्शाया गया है, जिसके अनुसार संदिग्ध अधिकारी द्वारा स्वयं व परिजनों के नाम अर्जित परिसम्पत्तियों का कुल मुल्य 6,61,73,219/रूपये अनुमानति है।

संदिग्ध अधिकारी श्री अविनाश शर्मा द्वारा अपनी नियुक्ति वर्ष 1994 से खाना तलाशी की दिनांक तक अर्जित आय का उल्लेख परिशिष्ट "स" मे दर्शाया गया है। प्रपत्र "स" के अनुसार संदिग्ध अधिकारी व उसके परिवारजनों की ज्ञात श्रोतों से कुल वैध आय 2,47,39,434/रूपये का अनुमान है।

संदिग्ध अधिकारी श्री अविनाश शर्मा द्वारा अपनी नियुक्ति वर्ष 1994 से खाना तलाशी की दिनांक तक किये गये व्यय का उल्लेख परिशिष्ट "द" मे दर्शाया गया है, जिसके अनुसार कुल 2,11,57,266/रूपये व्यय करने का अनुमान है।

इस प्रकार संदिग्ध अधिकारी श्री अविनाश शर्मा व उसके परिवार जनों की चैक पिरियड वर्ष 1994 से खाना तलाशी की दिनांक तक के ज्ञात स्त्रोतो से प्राप्त आय 2,47,39,434/रूपये होकर, अर्जित सम्पति का मूल्य 6,61,73,219/रूपये एवं व्यय राशि 2,11,57,266/रूपये पाई गई है। अतः सम्पति तथा व्यय राशि का जोड 8,73,30,485/रूपये में से उपरोक्त आय 2,47,39,434/रूपये को घटाने पर 6,25,91,051/रूपये की परिसम्पतियां वैध आय के ज्ञात श्रोत से अधिक अर्जित किया जाना गोपनीय सत्यापन से पाया गया है, जो आय से लगभग 253 प्रतिशत अधिक है।

संदिग्ध अधिकारी व संदिग्ध अधिकारी से संबंधित निम्न ठिकानों (1) मकान नम्बर 157 हिम्मत नगर, गोपालपुरा मोड, जयपुर (2) प्लॉट नम्बर 10,21 किर्ती सागर, बदरवास जयपुर (श्री रघुराम ढाबा) (3) प्लॉट नम्बर 75 राठी नगर बदरवास जयपुर (4) प्लॉट नम्बर 58 इन्कम टैक्स कॉलोनी –प्रथम जगतपुरा जयपुर (5) किंजल कॉलोनाईर्जस प्राईवेट लि0, MS SACRED COLONISERS PVT LTD व नीलकण्ठ रियल स्टेट प्राईवेट लि0 का कार्यालय पता 101 वास्तुश्री कॉलोनी, मांगियावास, जयपुर (6) संदिग्ध अधिकारी का साला श्री ऋषि शर्मा पुत्र श्री केसी शर्मा का निवास स्थान– सी–371 प्रधान मार्ग मालवीय नगर जयपुर (7) संदिग्ध अधिकारी का कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर व अन्य की यदि तलाशी ली जाती है तो कई मूल्यवान परिसम्पत्तियों के दस्तावेज, नकदी, एफ.डी.आर, बैंक लॉकर्स, एन.एस.सी स्वर्ण आभूषण, शेयर बाजार में निवेश से संबंधित दस्तावेज, म्यूचुअल फण्ड में निवेश से संबंधित दस्तावेज, बेनामी परिसम्पत्तियों के दस्तावेज एवं अन्य मूल्यवान परिसम्पत्तियों के दस्तावेज मिलने की सम्भावना है।

अतः संदिग्ध अधिकारी श्री अविनाश शर्मा पुत्र श्री ओमप्रकाश शर्मा निवासी 157, हिम्मत नगर ,गोपालपुरा मोड जयपुर हाल अधीक्षण अभियन्ता– XII जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर, श्रीमती कल्पना शर्मा पत्नी श्री अविनाश शर्मा निवासी 157, हिम्मत नगर ,गोपालपुरा मोड जयपुर व अन्य के विरूद्ध वैध आय के ज्ञात स्त्रोतों से अधिक परिसम्पत्तियां अर्जित करने एवं अर्जित करने में

सहयोग करने के तथ्य प्रथम दृष्टया प्रमाणित हैं। आरोपीगणों का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 13(1)(ई) सपठित 13(2) पी.सी.एक्ट 1988 धारा 120बी आईपीसी एवं धारा 13(1)(बी) सपठित 13(2), 12 पी.सी.एक्ट 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61(2) बीएनएस 2023 का घटित होना पाया जाता है। अतः बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांकन हेतु प्रेषित है।

(सरोज धायल)
पुलिस निरीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
इन्टे0 जयपुर

# कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमती सरोज धायल पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो इन्टे0 जयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 13(1)(ई) सपठित 13(2) पी.सी.एक्ट 1988 धारा 120बी आईपीसी एवं धारा 13(1)(बी) सपठित 13(2), 12 पी.सी.एक्ट 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61(2) बीएनएस 2023 में वर्णित अपराध घटित होना पाया जाने से अभियुक्त श्री अविनाश शर्मा पुत्र श्री ओमप्रकाश शर्मा निवासी 157, हिम्मत नगर ,गोपालपुरा मोड जयपुर हाल अधीक्षण अभियन्ता– XII जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर, श्रीमती कल्पना शर्मा पत्नी श्री अविनाश शर्मा निवासी 157, हिम्मत नगर ,गोपालपुरा मोड जयपुर व अन्य के विरूद्ध अपराध संख्या 53/25 दिनांक 10.03.2025 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर श्रीमान महानिदेशक महोदय के निर्देशानुसार अनुसंधान श्री ज्ञानप्रकाश नवल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर नगर–तृतीय जयपुर के सुपूर्द किया गया। प्रतियां एफ.आई. आर. नियमानुसार कता कर जारी की गई।

-sd-

(डॉ0 प्यारे लाल शिवरान)
पुलिस अधीक्षक–प्रशासन
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
राज0 जयपुर

क्रमांक :– 285-290 दिनांक :– 10-03-2025

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. माननीय विशिष्ट न्यायाधीश एवं सेशन न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम मामलात, क्रम संख्या–1 जयपुर
2. श्रीमान प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राज0 जयपुर
3. श्रीमान प्रमुख शासन सचिव, स्वायत शासन विभाग, राज0 जयपुर
4. श्रीमान आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
5. श्रीमान उपमहानिरीक्षक पुलिस–द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
6. श्री ज्ञानप्रकाश नवल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर–तृतीय जयपुर।

(डॉ0 प्यारे लाल शिवरान)
पुलिस अधीक्षक–प्रशासन
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
राज0 जयपुर